(ख) क्या उन के काम के घंटों का निर्धारण करते हुए काम की मात्रा भी निर्धारित की जाती है यदि हां तो वह मात्रा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Monopolies in Kerosene and L.P.G. Distribution

292. DR. SAROJINI MAHISHI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the monopolies in kerosene and LPG distribution are still continuing; and

(b) what action Government have taken to break the monopolies in their distribution?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). No monopoly exists in the distribution of kerosene and LPG excepting in the case of Hindustan Petroleum Corporation Limited whose LPG is marketed through a few concessionaires. Steps for the take-over of these concessionaires have however been initiated.

एकाधिकारियों द्वारा नई कम्पनियों की स्थापना

293. **श्री हुकमदेव नारायण यादव**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1977 से जून, 1978 तक की अवधि के दौरान कितने एकाधिकारियों ने नई कम्पनियां स्थापित की हैं और जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं तथा ऐसे लाइसस कितने मूल्य के हैं; और

(ख) हाल ही में पंजीकृत कम्पनियों के उन भागीदारों के नाम क्या हैं जो ऐसी अन्य कम्पनियों; उद्योगों के भी भागीदार हैं जो किन्हीं कारणों से बन्द हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) 1-4-1977 से 30 जून 1978 तक की अवधि के मध्य एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरण योग्य उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत 30 प्रस्ताव जो उक्त अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत अनुमोदित किये गये थे, में से नवीन उपक्रमों की स्थापनार्थ 9 प्रस्ताव, नवीन कम्पनियों की स्थापना द्वारा कार्यान्वयन किये जाने प्रस्तावित थे। उपरोक्त 9 प्रस्तावों की अनुमानित परियोजना लागत बताते हुये एक विवरण-पत्र संलग्न है। जहां तक लाइसेंस देने का सम्बन्ध है इसका नियंत्रण उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत होता है, जो औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रशासित होता है।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक कम्पनी के भागीदार नहीं होते, वरन् निदेशक तथा हिस्सेदारी होते हैं। कम्पनी कार्य विभाग, को उपरोक्त भाग (क) में निर्देशित नवीन कम्पनियों के प्रस्तावों वाले बृहद् घरानों से सम्बन्धित अन्त:सम्बन्धित औद्योगिक उपक्रम का कोई ऐसा दृष्टांत दृष्टिगोचर नहीं हुआ है जो कुछ कारण अथवा अन्य प्रकार से बन्द हो गया हो ?